

सं०सं०-17/विधि 1-29/2018 - 464/17P
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विवेकानन्द ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
सभी चिकित्सा महाविद्यालय,
बिहार।

पटना, दिनांक - 9.7.18

विषय :- राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के पी०एस०एम० विभाग के चिकित्सक शिक्षकों की संयुक्त औपबंधिक वरीयता सूची का प्रकाशन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के पी०एस०एम० विभाग के चिकित्सक शिक्षकों की संयुक्त अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन विभागीय पत्रांक-421(17) दिनांक-27.03.08 द्वारा किया गया था, जिसमें डा० चित्तरंजन राय एवं डा० सूरज नायक की वरीयता न्यायालय में दायर याचिका में पारित होने वाले आदेश के शर्ताधीन थी। माननीय उच्च न्यायालय में दायर एल०पी०एम० संख्या-932/2011 (CWJC No.-7126/1997) एवं एल०पी०एम० सं०-954/2011 (CWJC No.-04/1997) डा० चित्तरंजन राय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-13.03.2018 को पारित न्यायादेश में इसे खारिज कर दिया गया है।

उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में डा० सूरज नायक को डा० चित्तरंजन राय से वरीय मानते हुए एवं उक्त प्रकाशित अंतिम वरीयता सूची में संशोधन करते हुए एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2012 में अनुशंसित सहायक प्राध्यापकों को, क्रम संख्या-15 से 23 तक सम्मिलित करते हुए पी०एस०एम० विभाग के चिकित्सक शिक्षकों की संयुक्त औपबंधिक वरीयता सूची प्रकाशित की जा रही है।

2. सभी प्राचार्य, अपने अधीनस्थ संबंधित चिकित्सक शिक्षकों को वरीयता सूची उपलब्ध/परिचारित करायेंगे। संलग्न औपबंधिक वरीयता सूची के क्रम संख्या-01 से 23 तक के विरुद्ध यदि किन्हीं को कोई आपत्ति हो तो इस वरीयता सूची के प्रकाशन की तिथि से एक पक्ष के अन्दर सभी साक्ष्य/अभिलेख के साथ संबंधित प्राचार्य के माध्यम से अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

3. सभी प्राचार्य अपने-अपने चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित मृत/सेवानिवृत्त/फरार चिकित्सक शिक्षकों के संबंध में अलग से प्रतिवेदन देंगे।

कृपया पावती स्वीकार की जाय एवं वांछित कार्रवाई निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण रूपेण अनुपालित किया जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव।

राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के पी0एस0एम0 विभाग के चिकित्सक शिक्षकों की संयुक्त औपबंधिक वरीयता सूची का प्रकाशन :-

क०सं०	चिकित्सक शिक्षक का नाम	वरीयता कमांक	सहायक प्राध्यापक / ट्यूटर की अधिसूचना संख्या एवं तिथि	अभ्युक्ति
1.	2	3	4	5
1.	डा0 सूरज नायक	5.	716(17) / 30.12.89	
2.	डा0 प्रकाश चन्द्र (अ0जा0)	2.	165(17) / 25.01.88	
3.	डा0 अनिल कुमार जायसवाल	3.	25.01.88	
4.	डा0 विनोद प्रसाद (अ0जा0)	4.	165(17) / 25.01.88	
5.	डा0 चित्तरंजन राय	5.	165(17) / 25.01.88	माननीय उच्च न्यायालय में पारित न्यायादेश के आलोक में 1991 के प्रभाव से सहायक प्राध्यापक।
6.	डा0 प्रेम कुमार सिंह	6.	412(17) / 10.07.91	
7.	डा0 रश्मि सिंह	7.	412(17) / 10.07.91	
8.	डा0 माधव शरण प्रसाद	8.	819(17) / 20.10.86	
9.	डा0 अखौरी प्रभात कुमार सिन्हा	9.	855(17) / 28.12.91 एवं शुद्धि पत्र सं०-111(17) / 26.03.92	
10.	डा0 अमरेन्द्र नारायण चौधरी	10.	1305(17) / 13.12.03	
11.	डा0 अजय कृष्ण	11.	729(17) / 17.09.01	
12.	डा0 राजेश रंजन सिन्हा	12.	729(17) / 17.09.01	
13.	डा0 रंजीत कुमार सिन्हा	13.	729(17) / 17.09.01	
14.	डा0 हेम कान्त झा	14.	729(17) / 17.09.01	
15.	डा0 प्रभात कुमार लाल	15.	320(17) / 04.03.13	
16.	डा0 मधुमिता मुखर्जी	16.	321(17) / 04.03.13	
17.	डा0 अमिता सिन्हा	17.	322(17) / 04.03.13	
18.	डा0 निवेदिता सिन्हा	18.	323(17) / 04.03.13	
19.	डा0 सुमन कुमार	19.	324(17) / 04.03.13	
20.	डा0 रविन्द्र प्रसाद	20.	325(17) / 04.03.13	
21.	डा0 कामरान फजल	21.	326(17) / 04.03.13	
22.	डा0 सुरेन्द्र प्रसाद सिंह	22.	327(17) / 04.03.13	
23.	डा0 शशि भूषण कुमार	23.	353(17) / 05.03.13	

सहायक

464/11/17
9/11/18

प्रशाखा पदाधिकारी

अवर सचिव